लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS/LSBA/Proj/12/17/1006 दिनांक: 24/12/18

प्रेषक,

बालामुरूगन डी०, भा०प्र०से०,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,

जिला जल एवं स्वच्छता समिति।

विषय :- **खुले में शौच से मुक्त गांवों का जिओ टैंगिग में 75 प्रतिशत आच्छादन करते हुए स्वच्छ भारत मिशन- (ग्रामीण) के IMIS पर ODF Mark करने के संबंध में।**

प्रसंग: **विभागीय पत्रांक BRLPS/LSBA-Proj/12/17/061 दिनांक 20.04.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करने का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही सभी जिलों में जिओ टैंगिग का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है।

अद्यतन स्थिति एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के साईट पर IMIS के अवलोकन से पता चला है कि पिछले तीन महीनों में IMIS पर निर्मित शौचालयों की प्रविष्टि अधिक हुई है जिसके अपेक्षा जिओ-टैंगिग का Progress Match नहीं किया गया है।

SBM-(G) के IMIS में किये गये संशोधन के आलोक में खुले में शौच से मुक्त किसी भी गांव को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के IMIS पर ODF मार्क करने से पूर्व उस गांव के जिओ-टैंगिग का आच्छादन 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है और साथ ही भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त करने हेतु 80 प्रतिशत जिओ-टैंगिग की अनिवार्यता है।

अत: उक्त के आलोक में अनुरोध है कि वैसे जितने भी गांव IMIS पर शत् प्रतिशत आच्छादित हैं एवं समुदाय द्वारा खुले में शौच से मुक्त हो गया है परन्तु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) IMIS पर ODF मार्क नहीं है, उन गांवों का जिओ-टैगिंग के कार्य को ससमय पूरा करना सुनिश्चित किया जाए, साथ ही जिओ-टैग्ड किये गये फोटोग्राफ्स को ससमय Approved किया जाए ताकि उन ग्रामों को IMIS पर ODF घोषित किया जा सके।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की विशेष जानकारी हेतु LSBA-SPMU में जिओ-टैगिंग के राज्य नोडल पदाधिकारी श्री आनंद कुमार- 8860911836 से सम्पर्क किया जा सकता है।

इसे अतिआवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

24/12/18

(बालामुरूगन डी०)

प्रतिलिपि: सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष/निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(बालामुरूगन डी०)

24/12/18